मैसर्स वेप पेरीफेरल्स लिमिटेड

बनाम

सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई

सिविल अपील नं.2757/2006

21 फरवरी, 2008

(एस.एच.कपाडिया एवं बी.सुदर्शन रेड्डी, न्यायमूर्ति)

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम, 1988, नि.9(1)(सी) एवं 9(1)(ई) प्रिन्टर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले शटल आयात- आयातित वस्तुओं की कीमत पर रायल्टी/लाइसेंस शुल्क लगाने वाले प्राधिकारी की शुद्धता-माना गयाः गलत- निर्धारिती को प्रश्नगत माल की थोक आपूर्ति के लिए आदेश प्राप्त हुआ, इस प्रकार, माल की कीमत कम करके छूट दी गई- उसके समर्थन में सामग्री पर निर्णायक प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया- रायल्टी भुगतान प्रश्न में माल की बिक्री के लिए पूर्व आवश्यकता शर्त नहीं थी- प्राधिकारी के दृष्टिकोण की ट्रिब्यूनल द्वारा गलती से पुष्टि की गई। इसलिए, सुनाए गए फैसले को रद्द किया गया।

इस अपील के निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या न्याय निर्णयन प्राधिकारी आयातित माल की कीमत पर रायल्टी/लाइसेंस

शुल्क भुगतान को लोड (अधिरोपित) करने का अधिकार था, अर्थात, केवल शटल (शटलों) की चरम कीमत को ध्यान में रखते हुए ना कि पक्षकारों के बीच तय हुई कीमत को ध्यान में रखा गया।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा माना गयाः

1.1 चूंकि आयातक को थोक आपूर्ति का आर्डर मिला इसलिए सम्बन्धित सामान की कीमत कम हो गई। सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम 1988 के नियम 9(1) (सी) के तहत निर्णायक प्राधिकारी द्वारा इस कारक पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था। (पैरा 3) (145-डी, ई)

1.2 रायल्टी भुगतान का संकेत देने के लिए एेसा कुछ भी नहीं है कि शटल, सम्बन्धित सामान की बिक्री के लिए पूर्व आवश्यकता एक शर्त हो। निर्णय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र आधार यह रखा कि शटल प्रिन्टर का एक अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण को ट्रिब्यूनल ने गलती से स्वीकार कर लिया है। ट्रिब्यूनल द्वारा इस तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखा गया कि अपीलार्थी को एक थोक आॅर्डर प्राप्त हुआ था, जिसके लिए उसने मूल्य में छूट दी थी। जांच के निष्कर्ष से पहले विदेशी विक्रेता द्वारा आयातक के बीच पत्राचार को निर्णय प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था। उक्त पत्राचार को अस्वीकार करने का कोई कारण मौजूद नहीं है,

खासकर जब इसे बहस के समाप्त होने से पहले रखा गया था। (पैरा 3) (145-एफ, जी, 146-ए)

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम मैसर्स फेरोडो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड- सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 फरवरी, 2008 को निर्णीत। डी.सी.ए.नं.8426/2002 का अवलम्ब लेते हुए निर्णय लिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नं.2757/2006

सीईएसटीएटी, साउथ जोनल बैंक, बैंगलौर की अपील नं. सी/276/2004 के अन्तिम आदेश नं.103/2006 दिनांक 24.01.2006 से

साथ

सिविल अपील नं. 4519/2006 एवं 3679/2005

वी. लक्ष्मी कुमारन, आलोक यादव तथा एम.पी. देवानाथ अपीलार्थी की ओर से

बृजेन्द्र चाहर, अभिनव जैन, ज्योति चाहर, जे.एस. मलिक, दीपक ठाकुर और बी. कृष्णा प्रसाद प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कपाडिया द्वारा सुनाया गया

1. यह सिविल अपील निर्धारिती द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील सं. सी/276/04 में दिनांक 24.01.2006 के आदेश के खिलाफ दायर की गई।

2. यह मामला सीमा शुल्क अायुक्त बनाम मैसर्स फेरोडो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (सिविल अपील सं.8426/02) के मामले में दिए गए निर्णय की अगली कडी है। अपीलार्थी प्रिन्टर्स का निर्माता है। प्रिन्टर का अभिन्न अंग शटल कहलाता है। वर्तमान मामले में, हम तकनीकी सहायता समझौते (''टीएए'') से चिन्तित हैं। अपीलकर्ता शटल का आयातकर्ता है जिसका उपयोग प्रिन्टर के निर्माण में किया जाता है। मैसर्स फेरोडो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले के विपरीत प्रस्तुत मामले में सम्बन्धित पक्ष बाबत कोई लेनदेन नहीं है। प्रस्तुत मामले में, पक्ष एक-दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। निर्णायक प्राधिकारी ने लेन-देन मूल्य को स्वीकार कर लिया है।

3. इस सिविल अपील में निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या न्यायनिर्णयन प्राधिकारी राॅयल्टी/लाइसेंस शुल्क भुगतान को आयातित माल की कीमत पर लोड करने का हकदार था, अर्थात शटल को उसकी चरम कीमत पर ले जाकर। प्रस्तुत मामले में, आयातक/खरीददार तिमाही आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ बातचीत करता था। विचाराधीन अवधि के दौरान, आयातक को थोक आपूर्ति का आर्डर प्राप्त हुआ। इसलिए कीमत में कमी आई। नियम 9(1)(सी) के तहत निर्णायक

प्राधिकारी द्वारा इस कारक पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। वास्तव में, निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष पूछताछ के दौरान, अपीलकर्ता-आयातक ने अपने और विदेशी आपूर्तिकर्ता के बीच पत्राचार किया, जिसमें संकेत दिया गया कि अपीलकर्ता को प्रिन्टर के लिए थोक आॅर्डर प्राप्त हुआ था और इसीलिए उसे इसकी कीमत कम करनी पडी। नियम 9(1)(सी) को लागू करते समय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि शटल की बिक्री के लिए राॅयल्टी भुगतान एक शर्त थी। एकमात्र आधार, जिस पर निर्णायक प्राधिकारी ने यहां अपीलकर्ता के खिलाफ मामला माना है, वह यह था कि शटल, प्रिन्टर का एक अभिन्न अंग है, इस दृष्टिकोण को ट्रिब्यूनल ने भी गलती से स्वीकार कर लिया है। ट्रिब्यूनल इस बात पर भी विचार करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता को एक थोक आॅर्डर प्राप्त हुआ था जिसके लिए उसने मूल्य में छूट दी थी। विदेशी विक्रेता और आयातक के बीच हुआ पत्राचार निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष जांच के समापन से पहले रखा गया था। वहां उक्त पत्राचार को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। खासकर जब इसे बहस समाप्त होने से पहले रखा गया था। इसके अलावा प्रस्तुत मामले में, राॅयल्टी भुगतान मूल्य पर आधारित नहीं था। राॅयल्टी S 50/70 प्रति पीस की दर से देय थी। मैसर्स फेरोडो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड में हमारे द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, अपीलकर्ता सफल होता है।

4. उपरोक्त कारणों से, विशेषकर रूप से मैसर्स फेरोडो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पहले से फैसले में चर्चा किए गए कानून के प्रकाश में, हम ट्रिब्यूनल के आक्षेपित फैसले को गलत मानते हुए अपास्त करते हैं।

5. तदनुसार, निर्धारिती द्वारा दायर सिविल अपील सं.2757/06 को बिना किसी कोस्ट के स्वीकार किया जाता है।

6. यह अपील निर्धारिती आयातक द्वारा गलती में सुधार के प्रार्थना-पत्र, जो सीईजीएटी द्वारा अपील सं. सी/276/04 (अन्तिम आदेश सं.103/06) में दिनांक 26.04.2006 को पारित किया गया था, के सम्बन्ध में दायर की गई है। चूंकि हमने सिविल अपील सं.2757/06 में ट्रिब्यूनल के आक्षेपित आदेश को गलत मानकर अपास्त कर दिया है, प्रस्तुत अपील को भी बिना किसी कोस्ट के स्वीकार किया जाता है।

7. यह अपील निर्धरिती मैसर्स डायकिन एयर कण्डिशनिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीईएसटीएटी के आदेश दिनांक 21.03.2005 के विरूद्ध दायर की गई है। सीओरसी बनाम मैसर्स फेरोडो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (सिविल अपील सं.8426/02) के निर्णय के प्रकाश में इस अपील को बिना किसी कोस्ट के स्वीकार किया जाता है।

अपीलें स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता शर्मा-प्रथम (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।